कार्यक्रमों का संबंध है पांचवीं योजना में 2 बड़े पुल और 27 छोटे पुल शामिल थे, जिनमें से अब तक 16 छोटे पुलों को स्वीकृति दे दी गई है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा दो बड़े पुलों पर जांच कार्य प्रगति पर है।

(ख) जी हां। कार्य पांचवीं योजना में शामिल कर लिया गया है। पहुंच मार्गों के स्थल तथा संरेखनतय करने की विस्तृत जांच की जा रही है।

(ग) इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) लगभग 107.27 लाख रुपए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सशस्त्र सेनाओं में प्रतिनिधित्व

557. **श्री रामजी लाल सुमन :** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों शस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है;

(ख) क्या यह 18 प्रतिशत से कम है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इसे पूरा करने हेतु क्या प्रभावी उपाय कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). थलसेना, वायुसेना और नौसेना में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :

थलसेना

वर्तमान संख्याशक्ति

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
(i) अधिकारी .	173	90
(ii) अधिकारियों के अलावा .	80291	15423

वायुसेना

वतमान संख्याशक्ति

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
(i) अधिकारी .	13	6
(ii) अधिकारियों के अलावा .	2345	247

नौसेना

वतमान संख्याशक्ति

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
(i) अधिकारी .	5	—
(ii) अधिकारियों के अलावा .	2143	246

इनका प्रतिनिधित्व 18 प्रतिशत से कम है।

तीनों सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तथापि सशस्त्र सेनाओं में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अफसर कैडटों की भर्ती बढ़ाने के विचार से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) सैनिक स्कूलों में प्रवेश के मामले में योग्यता सूची में उनके स्थान का ध्यान रखे बिना, प्रवेश परीक्षा में पास हो जाने और शारीरिक दृष्टि से योग्य पाए जाने पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 1/2 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(ii) मिलिटरी स्कूलों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सभी लड़कों को इन स्कूलों में प्रवेश दे दिया जाता है, जो इन स्कूलों की प्रवेश परीक्षा में पास हो जाएं। इसमें योग्यता सूची में उनके स्थान का ध्यान नहीं रखा जाता।

3. सैनिकों की भर्ती के मामले में सरकार की वर्तमान नीति यह है कि भारतीय थलसेना में भर्ती के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :

(i) सभी भर्ती अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि अन्य बातों के समान होने पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

(ii) भर्ती अधिकारियों को अनुदेश दिये गए हैं कि भर्ती-एवं प्रचार दोनों को केवल शहरों और नगरों तक सीमित न रखा जाए अपितु दूर-दराज के ऐसे इलाकों का भी दौरा किया जाए जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग बसे हुए हों।

(iii) थल सेना में वर्गों के लोगों को भर्ती बढ़ाने के लिए समय समय पर रेजिमेंटल केन्द्रों से भर्ती दल भी भेजे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० का विद्रोह

558. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान पी०ए०सी० विद्रोह के संबंध में पुलिस नेताओं पर चल रहे मुकदमें वापस लेने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक आदेश देने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : चूंकि यह मामला मुख्यत: राज्य सरकार का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकार को कोई आदेश जारी करना उपयुक्त नहीं समझती है।

स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई पेन्शन

559. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जा रही पेन्शन में एक रूपता लाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?